

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्री विश्वजीत सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 71/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/256

अनवान

1. श्री मंदिर मुर्ति चारभुजा जी स्थान देह अवस्यक बविलायत पुजारी रूपदास पिता किशनदास बैरागी निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद

प्रार्थी

बनाम

1. अमरी पिता रूपा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नाथु पिता प्रताप गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रामा पिता प्रताप गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. किशनलाल पिता दुदा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. देवा पिता भज्जा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मोहन पिता हीरा गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. पेमा पिता डालु गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रायमल पिता डालु गुर्जर निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. डालचन्द पिता उदेराम जागीड़ ब्राह्मण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. अमरचन्द पिता बद्रीलाल जागीड़ ब्राह्मण निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. देव जी स्थान देह मंदिर मुर्ति अवस्यक बविलायत पुजारी मदनलाल पिता रूपा सालवी निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद
12. जगदीश पिता नानु नाई निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. डालचन्द पिता बालु नाई निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. नारायण पिता बालु नाई निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. प्रकाश पिता गोटु नाई निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. पारस पिता नानु नाई निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. मदनलाल पिता नाथुलाल महाजन निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद
18. उदयलाल पिता गणेशदास बैरागी निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद
19. शंभु पिता किशना दरोगा निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद
20. रतनीदेवी पत्नि शिवलाल सुनार निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21. मुकेश पिता शिवलाल सुनार निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज -प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 21 एकपक्षीय



  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) रायपुर

## निर्णय

दिनांक:-30.01.2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के खेत आराजी संख्या 1448/633 रकबा 0.21 है, आराजी संख्या 147 रकबा 0.21 है, आराजी संख्या 493 रकबा 0.09 है, आराजी संख्या 583 रकबा 0.24 है, आराजी संख्या 584 रकबा 0.50 है, आराजी संख्या 586 रकबा 0.14 है, आराजी संख्या 587 रकबा 0.29 है, आराजी संख्या 588 रकबा 0.07 है, आराजी संख्या 589 रकबा 0.05 है, आराजी संख्या 591 रकबा 0.39 है, आराजी संख्या 592 रकबा 0.10 है, आराजी संख्या 593 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 594 रकबा 0.27 है, आराजी संख्या 595 रकबा 0.01 है, आराजी संख्या 617 रकबा 0.34 है, आराजी संख्या 618 रकबा 0.19 है, आराजी संख्या 619 रकबा 0.30 है, आराजी संख्या 633 रकबा 0.30 है, आराजी संख्या 94 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 95 रकबा 0.66 है, आराजी संख्या 96 रकबा 0.08 है कुल किता 21 कुल रकबा 4.48 है भूमि राजस्व खाता संख्या 347 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 22.09.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।
2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 लगायत 21 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के खेत आराजी संख्या 1448/633 रकबा 0.21 है, आराजी संख्या 147 रकबा 0.21 है, आराजी संख्या 493 रकबा 0.09 है, आराजी संख्या 583 रकबा 0.24 है, आराजी संख्या 584 रकबा 0.50 है, आराजी संख्या 586 रकबा 0.14 है, आराजी संख्या 587 रकबा 0.29 है, आराजी संख्या 588 रकबा 0.07 है, आराजी संख्या 589 रकबा 0.05 है, आराजी संख्या 591 रकबा 0.39 है, आराजी संख्या 592 रकबा 0.10 है, आराजी संख्या 593 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 594 रकबा 0.27 है, आराजी संख्या 595 रकबा 0.01 है, आराजी संख्या 617 रकबा 0.34 है, आराजी संख्या 618 रकबा 0.19 है, आराजी संख्या 619 रकबा 0.30 है, आराजी संख्या 633 रकबा 0.30 है, आराजी संख्या 94 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 95 रकबा 0.66 है, आराजी संख्या 96 रकबा 0.08 है कुल किता 21 कुल रकबा 4.48 है भूमि भूमि राजस्व खाता संख्या 347 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल



  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) रायपुर

जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्वावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के खेत आराजी संख्या 1448/633 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 147 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 493 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 583 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 584 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 586 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 587 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 588 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 589 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 591 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 592 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 593 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 594 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 595 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 617 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 618 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 619 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 633 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 94 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 95 रकबा 0.66 है0, आराजी संख्या 96 रकबा 0.08 है0 कुल किता 21 कुल रकबा 4.48 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 347 पर दर्ज रेकार्ड है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी के संलग्न विवादित भूमि अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है।
5. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :-

**धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेंगे:**

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित होता हो कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हों। चूंकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 128(1) के अनुसरण में सीमा से सम्बन्धित निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6. उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत



**सहायक कलक्टर**  
(एस.डी.ओ.) जयपुर


कर आवेदन करने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायासंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में आवेदन—पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के सीमाज्ञान हेतु आवेदन पेश करने पर ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के खेत आराजी संख्या 1448/633 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 147 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 493 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 583 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 584 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 586 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 587 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 588 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 589 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 591 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 592 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 593 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 594 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 595 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 617 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 618 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 619 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 633 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 94 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 95 रकबा 0.66 है0, आराजी संख्या 96 रकबा 0.08 है0 कुल किता 21 कुल रकबा 4.48 है0 भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है। वक्त कार्यवाही सम्बंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिला दफ्तर हों।



आदेश आज दिनांक 30.01.2025 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

  
(विश्वजीत सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
रायपुर जिला, मोलियाडा  
(स.डी.ओ.) रायपुर

  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला, मोलियाडा  
(स.डी.ओ.) रायपुर